न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 18/2021

श्री पारसचन्द जैन पुत्र श्री बजरंगलाल जैन निवासी जैन कालोनी पुलिस थाने के सामने निवाई जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 24-8-2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 16-04-2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

सहायक कलेक्टर टोंक के यहा से आपके यहा स्थानान्तरित हुए प्रकरण संख्या 629/1994 बजंरगलाल बनाम केदार जिसके टी.आई. क्रमांक 382/1994 निर्णीत दिनांक 20.6.1999 है। उक्त दावा तथा टी.आई. तथा सम्पुर्ण आदेशिका व निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई एंव दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा पत्र क्रमांकः/राजस्व/2021/2926 दिनांक 18-8-2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक सूचना का अधिकार/2020/180 दिनांक 11.2.2021 द्वारा अपीलार्थी को जरिये डाक से सूचित किया जा चुका है, जिसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के सम्बन्ध में जवाब दिया जा चुका हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:42:10 IST
Reason: SelfAttested

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

सत्यमेव जयते